उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-84/2019/1035//22-4-19-48(27)/19
लखनऊ : दिनांक- 20 नवम्बर, 2019

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, रायबरेली में 30 क्षमता की 04 नग बैरक, जिला कारागार, महराजगंज में 30 क्षमता की 01 नग महिला बैरक एवं जिला कारागार, बिजनौर में 30 क्षमता की 02 नग बैरक का निर्माण कराये जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या-73/2019/951/22-4-19-48(27)/19, दिनांक 14.11.2019 के प्रस्तर-2 की तालिका के क्र0-3 में जिला कारागार बिजनौर हेतु स्वीकृत की जाने वाली अंकित धनराशि रू0-167.379 लाख के स्थान पर रू0-167.19 लाख पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-14.11.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2019 /1035(1)/22-4-19-तद्दिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, रायबरेली, महराजगंज एवं बिजनौर।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in